न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : राजेश कुमार ,आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :– 44/2023

जी.सी.एम.एस.संख्या :– 2023/73

प्रार्थीगण	बनाम	विप्रार्थीगण
1.रम्भा पत्नी भूराराम 2.वागाराम पुत्र भूराराम 3.टीकमाराम उर्फ टीकूराम पुत्र भूराराम जाति मेगवाल निवासी जानियाना तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा		1.नारायणराम पुत्र भोमाराम जाति जाट निवासी जानियाना तहसील पचपदरा व जिला बालोतरा 2.राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार पचपदरा

आवेदन अन्तर्गत धारा 251 क, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति–

1.श्री प्रेमसिंह अधिवक्ता प्रार्थी

2.श्री जेठूलाल कुमावत अधिवक्ता विप्रार्थी संख्या 1

3.विप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक– 23/8/2024

01. प्रकरण का संक्षिप्त में सारवान तथ्य इस प्रकार है,कि प्रार्थीगण रम्भा पत्नी भूराराम जाति मेघवाल निवासी जानियाना तहसील पचपदरा ने अपने खातेदारी भूमि खसरा संख्या 590/207 क्षेत्रफल 0.0324 हैक्टेयर ग्राम जानियाना तहसील पचपदरा में कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिए विप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 588/205 व 396/205 में से परिशिष्ट अ मुताबिक चौड़ा रास्ता कायम करने हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं तथा संलग्न नक्शानुसार रास्ता नजदीक सरल एवं एकमात्र विकल्प होने के कारण प्रार्थीगण के खातेदारी जोत तक कृषि कार्य आवागमन हेतु उक्तानुसार सार्वजनिक रास्ता घोषित करने का निवेदन किया हैं।

02. प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जा[illegible] की जरिए रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलब किया गया। विप्रार्थी क[illegible] प्राप्त हुए। अधिवक्ता श्री जेठूलाल कुमावत द्वारा विप्रार्थी संख्या 1 की तरफ से [illegible]लतनामा मय जवाब पेश किया गया तथा निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट मुताबिक र[illegible] देने के लिए सहमत है। विप्रार्थी संख्या 02 तहसीलदार पचपदरा ने प्रकरण में जवाब पेश नहीं कर निर्धारित प्रारूप में मौका रिपोर्ट प्रस्तुत की,जो शामिल मिसल हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:27:04 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

03. तत्पश्चात् प्रकरण में बहस सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस प्रार्थना–पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की ओर से विप्रार्थी संख्या 1 के खेत खसरा संख्या 588/205 व 396/205 ग्राम जानियाना में से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत संख्या 590/207 क्षेत्रफल 0.0324 हैक्टेयर तक चौड़ा रास्ता आवागमन एवं कृषि उपयोग हेतु रास्ता घोषित करवाने का आवेदन पत्र पेश किया गया था तथा तहसीलदार पचपदरा से भी मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अपनी बहस को जारी रखते हुए आगे और निवेदन किया कि मौका रिपोर्ट मुताबिक रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो प्रार्थीगण सहमत है।

04. विप्रार्थी संख्या 1 अधिवक्ता ने दौराने बहस निवेदन किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा मौका रिपोर्ट उपलब्ध करवाई गई है,मौका रिपोर्ट के मुताबिक रास्ता स्वीकृत किया जाता है,तो विप्रार्थी को आपति नहीं है तथा विप्रार्थी रास्ता के बदले प्रतिकर राशि भी नहीं लेना चाहते है। अतः में निवेदन किया कि उक्तानुसार रास्ता स्वीकृत किए जाने पर आपति नहीं है।

05. हमनें दोनो पक्षो के अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं उस पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया तथा सुसंगत विधिक प्रावधानों पर गौर किया। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि तक पहुंचने हेतु मौका रिपोर्ट मुताबिक खसरा संख्या 588/205 व 396/205 में प्रस्तावित रास्ता प्रदान करने का निवेदन किया है। तहसीलदार पचपदरा ने मौका रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत कर प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक पहुंच हेतु निम्नानुसार रिपोर्ट अंकन की गई है,संक्षिप्त सारनुसार :–प्रार्थीगण द्वारा चाहे गए रास्तें के अलावा अन्य कोई नजदीक में ग्रेवल/सड़क रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही सबसे नजदीक व निकटतम रास्ता है।

5.हस्तगत प्रकरण के विचारण एवं निर्णयन हेतु हम धारा 251–क,राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में संक्षिप्त जांच के संबध में वर्णित प्रावधान का उल्लेख करना आवश्यक समझतें है,जिसके अनुसारः–

i. यह आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपभोग के लिए नहीं हैं; और

ii. अन्य खातेदार की जोत में से होकर,विशिष्ट रूप से नये मार्ग के मामले में,पहुँचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध किया गया है–

तो आदेश द्वारा,आवेदक को,अभिधारी,जो उस [illegible] धारित करता है, द्वारा सीमांकित या दर्शित लाईन के साथ–साथ भूमि की सतह [illegible] से कम तीन फुट नीचे पाइपलाईन बिछाने के लिए या ऐसे ट्रेक पर, जो उस [illegible]धारी द्वारा जो उस भूमि को धारित करता है,दर्शाया जाये,भूमि में से होकर,और यदि ऐसा ट्रेक दर्शित नहीं किया जाये तो लघुतम या निकटतम रूट से होकर एक नया मार्ग जो तीस फुट से अनधिक तक विस्तारित या चौड़ा करने के लिए,उस अभिधारी को,जो उस भूमि को धारित करता है,जिसमें से होकर पाइपलाइन बिछाने या एक नया मार्ग बनाने या विधमान मार्ग को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:27:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) बालोतरा

चौड़ा करने का अधिकार मंजुर किया जाये,ऐसे प्रतिकर के संदाय पर जो विहित रीति से उपखण्ड अधिकारी द्वारा अवधारित किया जाये,अनुज्ञात कर सकेगा।

उक्त वर्णित प्रावधान से स्पष्ट है,कि प्रार्थी द्वारा आवेदित रास्ते की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता हो तथा वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होने पर नया रास्ता बनाने हेतु अनुज्ञात किया जा सकेगा।

6. चूंकि प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों एवं तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 590/207 में आवागमन हेंतु राजस्व रेकर्ड एवं मौके पर कोई रास्ता उपलब्ध नहीं हैं,अतः उक्त वर्णित धारा 251–क प्रावधानानुसार प्रार्थीगण की आवश्यकता आत्यंतिक आवश्यकता प्रमाणित होती है तथा आवागमन हेतु वैकल्पिक साधन के अभाव भी प्रार्थीगण द्वारा सिद्ध किया गया हैं। प्रार्थीगण एंव विप्रार्थी संख्या 01 द्वारा आपसी सहमति के आधार पर मौका रिपोर्ट के अनुसार रास्ता स्वीकृत किए जाने पर राजीनामा पेश किया गया है,राजीनामा में विप्रार्थी संख्या 01 ने सहमति दी गई है कि मौका रिपोर्ट मुताबिक रास्ता देने के लिए सहमत हूँ तथा रास्ता के बदले क्षतिपूर्ति राशि भी नहीं चाहिए। ऐसी सूरत में हम प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार करना उचित एवं न्यायसंगत समझते हैं।

आदेश

उपर्युक्त विवेचन के आलोक में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 भली भांति साबित होने एवं सारवान होने के कारण स्वीकार किया जाता है,तथा प्रार्थीगण के खातेदारी भूमि खसरा संख्या 590/207 में पहुंच हेतु विप्रार्थी संख्या 01 के खातेदारी खसरा संख्या 396/205 क्षेत्रफल 0.3399 हैक्टेयर में से 0.0239 हैक्टयर एवं खसरा संख्या 588/205 क्षेत्रफल 0.1376 हैक्टयर मे से 0.0340 हैक्टयर कुल क्षेत्रफल 0.0579 (171 फीट लम्बाई व 15 फीट चौड़ाई) संलग्न नक्शानुसार बरंग गुलाबी भूमि सार्वजनिक रास्ते के रूप में उपयोग हेतु अनुज्ञात की जाती है। तहसीलदार पचपदरा को निर्देश प्रदान किये जाते है,कि मौका रिपोर्ट के संलग्न नक्शा बरंग गुलाबी मुताबिक राजस्व रेकॉर्ड में अंकन करे तथा मौके पर उक्त घोषित सार्वजनिक रास्ते का सीमाज्ञान किया जाकर प्रार्थीगण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें तथा पालना रिपोर्ट न्यायालय हाजा में प्रस्तुत करें। नक्शा आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। विप्रार्थी पक्ष रास्ता के बदले प्रतिकर राशि नहीं लेने की सहमति दी गई है,इस कारण प्रतिकर राशि देय नहीं होगी। पत्रावली इसी कदर निर्णित होकर संख्या से एक कम होकर लेख्य भंडार हो।

उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajesh Kumar
Date: 2024.09.11 18:47:04 IST
Reason: SelfAttested

(राजेश कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
बालोतरा

निर्णय आज दिनांक 23.8.24 को सर–ए–इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.), बालोतरा